



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07022025-260812
CG-DL-E-07022025-260812

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 88]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 7, 2025/माघ 18, 1946

No. 88]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 7, 2025/MAGHA 18, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2025

आय-कर

संख्या 13/2025

सा.का.नि. 121(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (47) के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (तीसरा संशोधन) नियम 2025 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आयकर नियम, 1962 के नियम 2च में,—

(क) उपनियम (1), उपनियम (2), उपनियम (3) और उपनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखे जाएंगे, अर्थात् :-

“(1) अवसंरचना ऋण निधि, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपबंधित विनियामक ढांचे में अधिकथित शर्तों के अनुरूप और उनका समाधान करते हुए गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी के रूप में गठित की जाएगी।

(2) अवसंरचना ऋण निधियों का विनिधान केवल निम्नलिखित में किया जाएगा,—

(क) पञ्च-प्रारंभ प्रचालन तारीख अवसंरचना परियोजनाएं, जिनके कम से कम एक वर्ष के समाधानप्रद वाणिज्यिक प्रचालन पूर्ण हो चुके हैं ; या

(ख) प्रत्यक्ष उधारदाता के रूप में टोल-प्रचालन-अंतरण परियोजनाएं ।

(3) अवसंरचना ऋण निधि,—

(i) भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों तथा समय-समय पर यथासंशोधित, विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत के बाहर निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण या जारी करना) विनियम, 2000 के अनुसार रुपया अंकित मूल्य बंधपत्र या विदेशी मुद्रा बंधपत्र जारी करेगी ;

(ii) नियम 8ख के अनुसार शून्य कूपन बंधपत्र जारी करेगी ; या

(iii) बाह्य वाणिज्यिक उधारों के अधीन उधार मार्ग के माध्यम से निधियां उगाहेगी ।

(4) निबंधन और शर्तें,—

(क) अवसंरचना ऋण निधि द्वारा जारी किसी बंधपत्र के लिए,—

(i) उपनियम (3) के खंड (i) के अधीन, भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों तथा उक्त खंड में निर्दिष्ट विनियमों के अनुसार होंगे ;

(ii) उपनियम (3) के खंड (ii) के अधीन, नियम 8ख के अनुसार होंगे ; या

(ख) उपनियम (3) के खंड (iii) के अधीन अवसंरचना ऋण निधि द्वारा बाह्य वाणिज्यिक उधार, भारतीय रिजर्व बैंक के विदेशी विनिमय विभाग के निदेशों के अनुसार होंगे ।”;

(ख) उपनियम (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(5क) अवसंरचना ऋण निधि द्वारा बाह्य वाणिज्यिक उधारों के मामले में समयावधि पांच वर्ष की अवधि से कम नहीं होगी तथा ऐसे उधार भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं से उद्भूत नहीं किए जाएंगे ।”;

(ग) उपनियम (7) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(7) अवसंरचना ऋण निधि द्वारा किसी परियोजना में विनिधान नहीं किया जाएगा जहां इसके विनिर्दिष्ट शेयरधारक या सहबद्ध उपक्रम या ऐसे विनिर्दिष्ट शेयरधारकों का समूह सारवान हित रखता है ।”;

(घ) स्पष्टीकरण में,—

(I) खंड (i) में “सहयोग” शब्द के स्थान पर, “सहबद्ध” शब्द रखा जाएगा ;

(II) खंड (viii) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(viii) “विनिर्दिष्ट शेयरधारक” से कोई गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी या बैंक या कोई अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवसंरचना ऋण निधि की मतदान शक्ति का कम से कम तीस प्रतिशत वाले शेयर रखता है ।”

[फा.सं. 370142/9/2024-टीपीएल]

सौरभ जैन, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, साधारण, भाग-2, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 76(अ) तारीख 27 जनवरी, 2025 द्वारा किए गए ।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th February, 2025

INCOME-TAX

No. 13/2025

G.S.R. 121(E).— In exercise of the powers conferred by section 295 read with clause (47) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:—

1. (1) These rules may be called the Income-tax (Third Amendment) Rules, 2025.
 (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Income-tax Rules, 1962, in rule 2F,—
 - (a) for sub-rules (1), (2), (3) and (4), the following sub-rules shall be substituted, namely:—

“(1) The Infrastructure Debt Fund shall be set up as a Non-Banking Financial Company conforming to and satisfying the conditions laid down in the regulatory framework provided by the Reserve Bank of India.

(2) The funds of the Infrastructure Debt Fund shall be invested only in,—

 - (a) post commencement operation date infrastructure projects which have completed at least one year of satisfactory commercial operations; or
 - (b) toll-operate-transfer projects as the direct lender.

(3) The Infrastructure Debt Fund shall,—

 - (i) issue rupee denominated bonds or foreign currency bonds in accordance with the directions of Reserve Bank of India and the relevant regulations under the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000, as amended from time to time;
 - (ii) issue zero coupon bonds in accordance with rule 8B; or
 - (iii) raise funds through loan route under external commercial borrowings.

(4) The terms and conditions of, —

 - (a) a bond issued by the Infrastructure Debt Fund,—
 - (i) under clause (i) of sub-rule (3) shall be in accordance with the directions of the Reserve Bank of India and the regulations referred to in the said clause;
 - (ii) under clause (ii) of sub-rule (3) shall be in accordance with rule 8B; or
 - (b) external commercial borrowings by the Infrastructure Debt Fund, under clause (iii) of sub-rule (3) shall be in accordance with the directions of the Foreign Exchange Department of the Reserve Bank of India.”;
 - (b) after sub-rule (5), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

“(5A) In case of external commercial borrowings by the Infrastructure Debt Fund, the tenor shall not be less than a period of five years and such borrowings shall not be sourced from foreign branches of Indian banks.”;
 - (c) for sub-rule (7), the following shall be substituted, namely:—

“(7) No investment shall be made by the Infrastructure Debt Fund in any project where its specified shareholder or the associated enterprise or the group of such specified shareholder has a substantial interest.”;
 - (d) in the *Explanation*,—

- (I) in the clause (i), for the word “associate”, the word “associated” shall be substituted;
- (II) for clause (viii), the following shall be substituted, namely:—
“(viii) “specified shareholder” means a non-banking financial company, or a bank, or any other person holding, directly or indirectly, shares carrying not less than thirty per cent of the voting power in Infrastructure Debt Fund.”.

[F. No.370142/9/2024-TPL]

SOURABH JAIN, Under Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, sub-section (ii) *vide* number S.O. 969(E), dated the 26th March, 1962 and were last amended *vide* notification number G.S.R. 76(E) dated the 27th January, 2025.